<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली</u> निदेशक कार्यालय

फा.सं.40-30/2022-स्था.I

दिनांक : 10.05.2024

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः एम्स में फ्लेबोटॉमी सेवाएं शुरू करने के लिए सेवा प्रदाता की नियुक्ति करने संबंधी।

बहुत से रेजीडेंट डॉक्टरों, संकाय सदस्यों एवं अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा अधोहस्ताक्षरी से विभिन्न अंत:रोगी क्षेत्रों से नियमित रक्त के नमूने लेने के लिए फ़्लेबोटोमिस्ट नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है जिससे डॉक्टरों और नर्सिंग अधिकारियों के लिए समय की पर्याप्त बचत हो सके।

तदनुसार, एम्स नई दिल्ली में आउटसोर्स आधार पर फ्लेबोटॉमी सेवाएं प्रदान करने के लिए जीईएम पर खुली निविदा के माध्यम से एक सेवा प्रदाता को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

कार्रवाई: चिकित्सा अधीक्षक (अस्पताल); विभागाध्यक्ष, प्रयोगशाला चिकित्सा

उक्त सेवा प्रदाता से निम्नलिखित अपेक्षित होगा:

- निर्धारित अंत:रोगी क्षेत्रों से नियमित रक्त नमूना संग्रहण के लिए पर्याप्त संख्या में
 एक दिन में कम से कम एक बार फ़्लेबोटोमिस्ट को नियुक्त करना।
- आपातकालीन विभागों में 24x7 आधार पर फ़्लेबोटॉमी सेवाएं प्रदान करना।
- पुरानी राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी (केंद्रीय संग्रहण सुविधा) के पीछे कमरा संख्या 27/28 में आने वाले रोगियों के लिए 24x7 नमूना संग्रहण सुविधा संचालित करना।
- संग्रहण किए गए नमूनों को बारकोड करना एवं एम्स के भीतर संबंधित प्रयोगशालाओं में पह्ंचाना इत्यादि।

- तथापि, फ़्लेबोटॉमी की कला और विज्ञान को सीखना रेजीडेंट डॉक्टरों के कर्तव्यों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। फ़्लेबोटोमिस्ट को नियुक्त करने का आशय केवल रेजीडेंट डॉक्टरों और नर्सिंग अधिकारियों का भार कम करना है ताकि वे अन्य रोगी उपचार गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। इसलिए, यदि नियमित नमूना संग्रहण समय के बाद या आपातकालीन स्थितियों में अथवा फ़्लेबोटोमिस्ट की अनुपलब्धता के कारण फ़्लेबोटॉमी की आवश्यकता होती है, तो ड्यूटी पर तैनात रेजीडेंट डॉक्टरों और नर्सिंग अधिकारियों द्वारा तुरंत फ्लेबोटॉमी की जाएगी जैसा कि वर्तमान में की जा रही है।

> ह./-**प्रो. एम. श्रीनिवास** निदेशक

वितरण: (इसे अपने नियत्रंणाधीन सभी अधिकारियों में परिचालित करने के अनुरोध सहित)

- 1. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
- 2. अपर निदेशक (प्रशासन)
- 3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
- 4. सभी केंद्र-प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई, झज्जर
- 5. सभी विभागाध्यक्षण
- 6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
- 7. प्रभारी-आचार्य (प्रापण)
- 8. प्रभारी-आचार्य, कम्प्यूटर सुविधा

(नोटः किसी भी विवाद की स्थिति में इस कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।)

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI OFFICE OF DIRECTOR

F. No. 40-30/2022-Estt.I

10.05.2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Engagement of service provider for starting phlebotomy services at AIIMS reg.

The undersigned has been requested by numerous resident doctors, faculty & other staff for engagement of phlebotomists for drawing of routine blood samples from various inpatient areas as this can lead to substantial time saving for doctors & nursing officers.

Accordingly, it has been decided to engage a service provider through open tendering on GeM for providing phlebotomy services on outsourcing basis at AIIMS New Delhi.

Action: Medical Superintendent (H); HoD, Lab Medicine

The said service provider shall be expected to:

- Engage adequate number of phlebotomists for routine blood sample collection from the defined inpatient areas, atleast once in a day.
- Provide phlebotomy services in emergency departments on 24x7 basis.
- Operate a 24x7 sample collection facility for walk-in patients in the Room No. 27 / 28
 behind old RAK OPD (central collection facility).
- Barcode & transport the collected samples to the respective labs within AIIMS, etc.

However, as learning the art & science of phlebotomy is a very important part of the resident doctor's duties, the intent of engaging the phlebotomists is only to lessen the load on the resident doctors & nursing officers so that they can focus more on other patient care activities. Hence, phlebotomy, if required outside the routine sample collection time or in emergent situations, or due to non-availability of phlebotomist, shall be promptly done by the on-duty resident doctors and nursing officers as being done currently.

Bhy 10/5/2024

Prof. M Srinivas Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

- 1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
- 2. Addl. Director (Admin)
- 3. Medical Superintendent (AIIMS)
- 4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
- 5. Heads' of all Departments
- 6. Sr. Financial Advisor
- 7. PIC (Procurement)
- 8. Prof. I/c Computer Facility